

क्रमांक/247/20/नाजिर/17-18 कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना (म0प्र0) सतना दिनांक 21/09/17

घोष विक्रय (खुली नीलामी) हेतु विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर कार्यालय सतना की निष्पयोजित महिन्द्रा डी.आई.जी.पी.बोलेरो एवं पी0जो0 जीप "जहा है, जैसी है"की बिक्री खुली नीलामी (घोष विक्रय) दिनांक 18/09/17 को 12.00 बजे कलेक्टर कार्यालय सतना में की जावेगी। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	वाहन आवंटित अधि0 का पद नाम	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	पंजीयन वर्ष	अफसेट प्राईज
1	2	3	4	5	6
1	एस0डी0एम0रघुराजनगर	एम.पी.02/5386	महेन्द्रा पी0जो.	2001	57,000-00
2	एस0डी0एम0रामपुर बाघेलान	एम.पी02/आरडी/1903	महेन्द्रा डीआई	2006	62,000-00
3	तहसीलदार नागौद	एम.पी02/आरडी/1904	महेन्द्रा डीआई	2006	47,000-00
4	तहसीलदार रामपुर बाघेलान	एम.पी02/आरडी/1905	महेन्द्रा डीआई	2006	47,000-00
5	तहसीलदार मेहर	एम.पी02/आरडी/1907	महेन्द्रा डीआई	2006	45,000-00
6	तहसीलदार रामनगर	एम.पी.02/आरडी/1909	महेन्द्रा डीआई	2006	60,000-00
7	एस0डी0एम0रामनगर	एमपी02/आरडी/5001	महेन्द्रा बोलेरो	2006	85,000-00

शर्त :-

- 1-वाहन जहा जिस हालत में रखा/खडा है उसी हालत में नीलाम किया जावेगा
- 2-वाहन का निरीक्षण सयुक्त कलेक्ट्रेट भवन सतना में किया जा सकता है। तथा अधिक जानकारी के लिए कमरा नम्बर जी-20 में कलेक्ट्रेट की नजारात शाखा से ली जा सकती है।
- 3-प्रत्येक बोलीदार को वाहन की धरोहर राशि 10,000/-का बैंक डाफ्ट कलेक्टर सतना के नाम जो भारतीय स्टेट बैंक सतना के नाम से देय होगा दिनांक 11/09/17 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा वही व्यक्ति बोली में भाग ले सकेगा जिसके द्वारा धरोहर राशि जमा की गयी हो।
- 4-नीलामी कार्यवाही के दौरान उच्चतम बोली जिस पक्षकार की प्राप्त होगी उन्हे नीलामी राशि का 50 प्रतिशत राशि का चेक के माध्यम से तत्काल जमा कराना होगा, इसका पालन नही करने की दशा में जमा की गई धरोहर राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात हो जावेगी तथा उसकी नीलामी निरस्त की जावेगी। शेष राशि का चेक 3 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में जमा करना होगा, चेक क्लियरनेस होने के बाद वाहन की डिलेवरी दी जावेगी।
- 5-अंतिम बोली की पुष्टीकरण की सूचना के तीन दिवस के भीतर सफल बोलीदार को अतिशेष राशि जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समयसीमा में अतिशेष राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई 50 प्रतिशत राशि तथा अमानत राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात की जायेगी। तथा नीलामी निरस्त समझी जावेगी। एवं पुनः नीलामी में वाहन की कीमत प्रथम नीलामी की राशि से कम आती है तो पक्षकार से ऐसी हानि/खर्च वसूली योग होगा।

6-किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर सतना का होगा । जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

7-किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर सतना का निर्णय अंतिम होगा जो सर्वमान्य होगा ।

8-उच्चतम बोली लगाने वालों को छोड़कर अन्य बोली लगाने वालों की धरोहर राशि उसी दिन नियमानुसार वापस कर दी जावेगी ।

9-वाहन अंतिम रूप से निराकरण होने के पश्चात पक्षकार स्वयं के व्यय पर वाहन उठायेगा तथा परिवहन विभाग के नियमों के अधीन 7 दिवस में अपने पक्ष में पंजीयन करायेगा । तथा जिसकी सूचना इस कार्यालय को देना अनिवार्य होगा, इस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करेगा शासन द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जावेगा ।

10-सफल बोलीदार को वाहन प्राप्त के समय अपना पहचान पत्र (ADDRESS PROOF) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

कलेक्टर

जिला सतना, (म0प्र0)

पृ0कमांक 247/20/नाजिर/2017-18
प्रतिलिपि:-

सतना दिनांक 24/08/17

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्य प्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
4. सचिव म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. सचिव म0प्र0शासन वित्त विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
6. आयुक्त रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ ।
7. संचालक जन सम्पर्क (विज्ञापन) वाणगंगा भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ हेतु ।
8. कोषालय अधिकारी जिला सतना ।
9. प्रभारी अधिकारी वित्त की ओर सूचनार्थ ।
10. समस्त कलेक्टर -----की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक संचालक जन सम्पर्क सतना की ओर सूचनार्थ ।
12. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल/सतना की ओर सूचनार्थ ।
13. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग वि0/या0 उप संभाग रीवा ।
14. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग वि0/या0 सतना ।

कलेक्टर

जिला सतना, (म0प्र0)